



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/विवि/2025-26/177

विवि.एचओएल.आरईसी.96/16-13-100/2025-26

28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - स्वैच्छिक समामेलन) निदेश, 2025

विषय-सूची

अध्याय I - प्रारंभिक	2
ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ	2
बी. प्रयोज्यता	2
सी. परिभाषाएं	2
डी. व्यापकता	3
अध्याय II - निदेशक मंडल और शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन	4
ए. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन	4
बी. शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन	5
अध्याय III - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन अथवा मंजूरी	6
अध्याय IV - विसम्मत शेयरधारकों की हकदारी	7
अध्याय V - प्रवर्तकों द्वारा शेयरों की खरीद/ बिक्री के लिए मानदंड	8
अध्याय VI - निरसन और अन्य प्रावधान	9
ए. निरसन और संरक्षण	9
बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं	9
सी. व्याख्याएं	9
अनुबंध	11



बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए और धारा 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') को सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों/विधियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - स्वैच्छिक सम्मेलन) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. यह निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. यह निदेश लघु वित्त बैंकों (आगे सामूहिक रूप से 'बैंकों' और वैयक्तिक रूप से 'बैंक' के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे।

सी. परिभाषाएं

4. इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो, यहां दिए गए शब्दों का आशय निम्नानुसार होगा:
 - (1) **'सम्मेलित संस्था'** का अर्थ है वह संस्था जिसे सम्मेलन की योजना के अंतर्गत अपने कारोबार को किसी अन्य संस्था को अंतरित करने का प्रस्ताव है।
 - (2) **'सम्मेलन संस्था'** का अर्थ है वह संस्था जिसे सम्मेलन की योजना के अंतर्गत सम्मेलित संस्था का कारोबार प्राप्त करना है।
 - (3) **'सम्मेलन'** का आशय एक या एक से अधिक संस्थाओं का किसी अन्य संस्था के साथ संबंधित कानूनों/विनियमों के तहत विलय योजना (या जो भी नाम दिया जाए), जिसमें प्रक्रिया के नियम और तौर-तरीके निर्धारित होते हैं के अंतर्गत विलय से है।



- (4) "न्यायाधिकरण" का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 (उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (90) में यथापरिभाषित) की धारा 408, समय-समय पर यथासंशोधित, के तहत गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण।
5. अन्य सभी अभिव्यक्तियों, जब तक कि यहां परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, अथवा उसमें किसी सांविधिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित शर्तों की शब्दावली अथवा वाणिज्यिक भाषा में, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत उन्हें दिया गया है।

डी. व्यापकता

6. सम्मेलन के नीचे दर्शाए मामलों को इन निदेशों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा:
- (1) दो बैंक
 - (2) विदेशी बैंकों को छोड़कर एक बैंक, बैंकिंग कंपनी (बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) के तहत यथापरिभाषित) के साथ अथवा इसके विपरीत।
 - (3) एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का किसी बैंक के साथ या इसके विपरीत।



अध्याय II - निदेशक मंडल और शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन

ए. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन

7. समामेलन के निर्णय समामेलन और समामेलित, दोनों बैंकों के बोर्ड सदस्यों की कुल संख्या (केवल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के नहीं) के दो-तिहाई बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

बशर्ते, यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त बैठकों में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्र और गैर-कार्यकारी निदेशकों से 'प्रसंविदा के विलेख', जैसा की [भारतीय रिज़र्व बैंक \(लघु वित्त बैंक - अभिशासन\) निदेश, 2025](#) में दर्शाया गया है, प्राप्त किए गए हैं।

8. अनुमोदन के समय संबंधित बैंकों के बोर्ड निम्नलिखित मामलों पर विशेष ध्यान देंगे:

- (1) क्या समामेलित संस्था के संबंध में समुचित सावधानी की कार्रवाई की गई है।
- (2) समामेलन के परिणामस्वरूप समामेलन संस्था के निदेशक मंडल की संरचना में किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन और इस संबंध में बोर्ड की परिणामी संरचना रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुरूप है।
- (3) मुआवजे का स्वरूप, जिसे समामेलित संस्था के शेयरधारकों को समामेलन संस्था भुगतान करेगी।
- (4) क्या स्वेप अनुपात को आवश्यक योग्यता और अनुभव वाले स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निर्धारित किया गया है और क्या बोर्ड के मत में, इस तरह का स्वेप अनुपात उचित और योग्य है।
- (5) संबंधित संस्थाओं में शेयरधारिता का स्वरूप और क्या समामेलन और स्वेप अनुपात के परिणामस्वरूप, **समामेलन** संस्था में किसी व्यक्ति, संस्था या समूह की शेयरधारिता भारिबैं के दिशानिर्देशों या किसी अन्य लागू संविधि या विनियामक अनुदेश का उल्लंघन करेगी, जिसके लिए भारिबैं या किसी विनियामक या प्रशासनिक प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- (6) वह मूल्य, जिसपर समामेलित संस्था की आस्तियों, देयताओं और आरक्षित निधियां को **समामेलन** संस्था की बहियों में शामिल करने का प्रस्ताव है और क्या इस तरह के निगमन के



परिणामस्वरूप आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन ऊर्ध्वाकार होगा या अप्राप्त लाभ के लिए क्रेडिट लिया जाएगा।

(7) **समामेलन** संस्था की लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता अनुपात पर सामामेलन का प्रभाव।

9. किसी एनबीएफसी के बैंक में विलय के अथवा इसके विपरीत मामले में, बैंक का बोर्ड पैराग्राफ 8 में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अतिरिक्त यह भी जाँच करेगा कि क्या:

(1) एनबीएफसी ने भारिबैं/सेबी के किसी मानदंड का उल्लंघन किया है अथवा इसके उल्लंघन करने की संभावना है और यदि ऐसा है तो बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि सामामेलन की योजना अनुमोदित होने से पहले इन मानदंडों का अनुपालन किया गया है।

(2) एनबीएफसी ने सभी खातों के लिए 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंडों का अनुपालन किया है।

(3) यदि एनबीएफसी ने किसी बैंक/वित्तीय संस्था (एफआई) से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है, तो क्या ऋण करार एनबीएफसी को प्रस्तावित विलयन/सामामेलन के लिए संबंधित बैंक/एफआई की सहमति प्राप्त करने के लिए अधिदेशित करता है।

बी. शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन

10. सामामेलन की ड्राफ्ट योजना, सामामेलन के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक संस्था के निदेशक मंडल द्वारा, पैराग्राफ 7 से पैराग्राफ 9 के अनुसार, जैसा भी लागू हो, अलग-अलग अनुमोदित होने के बाद , , सामामेलन के दौर से गुजर रहे बैंकों के शेयरधारकों द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित की जाएगी, जो उक्त बैंक के शेयरधारकों के मूल्य के दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में व्यक्तिगत रूप से अथवा परोक्षी द्वारा उपस्थित होंगे।

बशर्ते कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12(2) के अंतर्गत मतदान अधिकारों पर उच्चतम सीमा तब लागू होगी जब यह निर्धारित करने के लिए कोई मतदान हो कि क्या रेजल्यूशन आवश्यक बहुमत से पारित किया गया है।

11. सामामेलन की प्रारूप योजना को मंजूरी देने के लिए बुलाई गयी शेयरधारकों की प्रत्येक बैठक की सूचना बैंकों के पंजीकृत कार्यालयों वाले क्षेत्र या क्षेत्रों में प्रसारित होने वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में लगातार तीन सप्ताह तक सप्ताह में कम से कम एक बार प्रकाशित की जाएगी, और इनमें से एक समाचार पत्र उस क्षेत्र या क्षेत्रों में आम तौर पर समझी जाने वाली भाषा में होना चाहिए।



अध्याय III - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन अथवा मंजूरी

12. तत्पश्चात् इन निदेशों के पैरा 10 के तहत विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार शेयरधारकों के अपेक्षित बहुमत द्वारा समामेलन की योजना को अनुमोदित होने के बाद, यह अनुमोदन या स्वीकृति के लिए, जैसा भी लागू है, भारिबैं को प्रस्तुत किया जाएगा।

बशर्ते कि किसी एनबीएफसी के बैंक के साथ स्वैच्छिक समामेलन के लिए अथवा इसके विपरीत, समामेलन योजना को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 234 के अनुसार न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होगी। तथापि, किसी बैंक और एनबीएफसी के समामेलन के अनुमोदन के लिए किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण से संपर्क करने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा।

13. भारतीय रिज़र्व बैंक को इस प्रयोजन के लिए सूचना और दस्तावेज प्रवाह पोर्टल (<https://pravaah.rbi.org.in>) के माध्यम से निम्नानुसार प्रस्तुत किए जाएंगे:

- (1) दो बैंकों का समामेलन: समामेलन और समामेलित बैंक अनुबंध में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।
- (2) किसी एनबीएफसी का बैंक के साथ समामेलन अथवा इसके विपरीत: बैंक, मद 4 के अतिरिक्त, अनुबंध के अनुसार सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।



अध्याय IV – विसम्मत शेयरधारकों की हकदारी

14. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए (3) के तहत, एक विसम्मत शेयरधारक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा योजना को मंजूरी दी जाने की स्थिति में, संबंधित संस्था से मंजूरी की तारीख से तीन महीने के भीतर, उस संस्था में शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का मूल्य, जैसा कि योजना को मंजूरी देते समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है, का दावा करने का हकदार है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस तरह शेयरों के मूल्य का निर्धारण सभी प्रयोजनों के लिए अंतिम होगा।



अध्याय V – प्रवर्तकों द्वारा शेयरों की खरीद/ बिक्री के लिए मानदंड

15. सूचीबद्ध कंपनियों के समामेलन के मामले में, आंतरिक व्यापार के प्रतिबंध पर सेबी के विनियमों का पालन किया जाएगा क्योंकि समामेलन और शेयरों के अंतरण से संबंधित जानकारी मूल्य संवेदनशील है। यहां तक कि गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के समामेलन के मामले में भी सेबी के विनियमों और दिशानिर्देशों का पालन उसके निहित भाव के अनुरूप और लागू सीमा तक किया जाना चाहिए।



अध्याय VI - निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और संरक्षण

16. इन निदेशों के जारी होने के साथ लघु वित्त बैंक को प्रयोज्य स्वैच्छिक सम्मेलन से संबंधित मौजूदा निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देशों को [दिनांक 28 नवंबर 2025 के परिपत्र वि.वि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26](#) के माध्यम से निरस्त किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पूर्व निरस्त निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देश निरस्त ही बने रहेंगे।
17. ऐसे निरसन के बावजूद निरसित निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या की जाने वाली कोई भी कार्रवाई या प्रारंभ की गई कार्रवाई, उसके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरसित सूची के अंतर्गत प्रदत्त सभी अनुमोदन अथवा पावती इन निदेशों द्वारा शासित माने जाएंगे। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह से निम्नलिखित पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव नहीं होगा:
- (1) उनके तहत अर्जित, संचित या उपगत कोई अधिकार, दायित्व या देयता;
 - (2) उनके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई जुर्माना, जब्ती या दंड;
 - (3) उक्त के अनुसार ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती या दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय स्थापित, जारी या लागू किया जा सकता है और ऐसे किसी भी जुर्माना, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है जैसे कि उन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं

18. इन निदेशों के उपबंध तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनकी अवमानना नहीं करेंगे।

सी. व्याख्याएं

इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी करने के प्रयोजन से या इनके प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारिबैं यदि आवश्यक समझता है, यहां शामिल किसी भी मामले



के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारिबैं द्वारा दिए गए इन निर्देशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(सेंटा जॉय)

मुख्य महाप्रबंधक



समामेलन योजना के आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी और दस्तावेज

ए. शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन

1. अनुमोदन के लिए संबंधित कंपनियों के शेयरधारकों के समक्ष रखी गई समामेलन की मसौदा योजना।
2. समामेलन योजना के अनुमोदन हेतु आयोजित शेयरधारकों की प्रत्येक बैठक की सूचना की प्रति के साथ, इन निदेशों के पैरा 11 में दी गई सूचना प्रकाशन की आवश्यकताओं के अनुपालन का साक्ष्य देती हुई, समाचारपत्र की कतरन।
3. शेयरधारकों की बैठक की अध्यक्षता करनेवाले प्रत्येक अधिकारी द्वारा निम्न को प्रमाणित करते हुए हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र:
 - (1) बैठक में पारित संकल्प की प्रति;
 - (2) बैठक में व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित शेयरधारकों की संख्या;
 - (3) शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने संकल्प के पक्ष में मतदान किया और उनके द्वारा धारित शेयरों की कुल संख्या;
 - (4) शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने रेजल्यूशन के विरुद्ध मतदान किया और उनके द्वारा धारित शेयरों की कुल संख्या;
 - (5) शेयरधारकों की संख्या, जिनके मतदान को अमान्य घोषित किया गया था और उनके द्वारा धारित शेयरों की कुल संख्या;
 - (6) शेयरधारकों के नाम और खाता-बही पन्ना, जिन्होंने रेजल्यूशन के विरुद्ध मतदान किया और ऐसे प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या;
 - (7) बैठक में मतों की गणना करने के लिए नियुक्त किए गए संवीक्षकों के नाम और पदनाम के साथ ही उपर्युक्त मद सं(3) से(6) में दी गई सूचना की पुष्टि में ऐसे संवीक्षकों द्वारा दिए गये प्रमाण-पत्र;
 - (8) शेयरधारकों का नाम जिन्होंने पीठासीन अधिकारी को लिखित रूप में नोटिस दिया है कि वह समामेलन की योजना से असहमत हैं और उनमें से प्रत्येक के पास धारित शेयरों की संख्या।



4. कंपनियों के संबंधित अधिकारियों के प्रमाणपत्र, जिनमें ऐसे शेयरधारकों के नाम दिए हों, जिन्होंने बैंकिंग कंपनी को बैठक में अथवा उससे पहले समामेलन की योजना पर असहमति व्यक्त करने की नोटिस दी हो तथा ऐसे प्रत्येक शेयर धारकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या।

बी. अभिशासन संबंधी सूचना

5. समामेलन के बाद पुनर्गठन के लिए यथा प्रस्तावित समामेलन कंपनी के निदेशकों के नाम, पते और व्यवसाय तथा यह भी उल्लेख किया जाए कि यह संरचना किस प्रकार भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों के अनुरूप होगी।
6. समामेलन के बाद समामेलन कंपनी के प्रस्तावित मुख्य कार्यपालक अधिकारी का विवरण।

सी. प्रत्येक कंपनी की वित्तीय जानकारी अलग से

7. समामेलन की योजना पर विचार करने हेतु सभी सुसंगत सूचना निम्न विवरण सहित:
 - (1) समामेलन के लिए नियत तारीख से तुरंत पहले समाप्त तीन वित्त वर्षों के लिए प्रत्येक कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट।
 - (2) नियत तारीख से तुरंत पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के बाद प्रत्येक कंपनियों द्वारा किसी भी अवधि के लिए प्रकाशित वित्तीय परिणाम, यदि कोई हो।

डी. समामेलन के बाद की वित्तीय सूचना

8. समामेलन कंपनी का प्रोफोर्मा संयुक्त तुलन पत्र, जैसा कि वह समामेलन के परिणामस्वरूप नियत तारीख को प्रभावी होगा।
9. इस प्रकार के प्रोफार्मा संयुक्त तुलनपत्र के आधार पर निम्नलिखित की गणना:
 - (1) टियर I पूंजी
 - (2) टियर II पूंजी
 - (3) जोखिम भारित आस्तियां
 - (4) सकल और निवल एनपीए
 - (5) टियर I पूंजी का जोखिम-भारित आस्तियां अनुपात
 - (6) टियर II पूंजी का जोखिम भारित आस्तियां अनुपात



- (7) कुल पूंजी का जोखिम भारित आस्तियां अनुपात
- (8) टियर I पूंजी का कुल आस्ति से अनुपात
- (9) अग्रिमों के लिए सकल और निवल एनपीए का अनुपात

ई. मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट

10. स्वैप अनुपात के निर्धारण के लिए समामेलन /समामेलित कंपनी के शेयरों के मूल्यांकन पर रिपोर्ट सहित मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट।
11. निम्नलिखित विवरणों सहित प्रस्तावित स्वैप अनुपात को समझने के लिए मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित प्रासंगिक सूचना:
 - (1) मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मूल्यांकन के तरीके;
 - (2) ऐसी सूचना और दस्तावेज़ जिन पर मूल्यांकनकर्ताओं ने निर्भर किया है तथा ऐसी सूचना की शुद्धता की जांच के लिए मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए सत्यापन, यदि कोई हो, की सीमा
 - (3) यदि मूल्यांकनकर्ताओं ने अनुमानित जानकारी पर निर्भर किया है तो उन व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिन्होंने ऐसी सूचना प्रदान की है और ऐसी जानकारी के संबंध में मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए सत्यापन की सीमा, यदि कोई हो;
 - (4) अनुमानित सूचना का ब्योरा जिस पर मूल्यांकनकर्ताओं ने भरोसा किया है;
 - (5) स्वैप अनुपातों की विस्तृत गणना, जिसमें प्रकाशित वित्तीय सूचना पर मूल्यांकन के उद्देश्य से किए गए समायोजन के संबंध में स्पष्टीकरण निहित है;
 - (6) यदि इन समायोजनों को तीसरे पक्ष द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है तो उन व्यक्तियों के ब्योरे जिन्होंने इस तरह के मूल्यांकन किए हैं;
 - (7) मूल्यांकन के प्रयोजन से प्रयुक्त पूंजीकरण कारक और पूंजी की भारित औसत लागत(डब्ल्यूएसीसी) तथा उसका औचित्य
 - (8) यदि स्वैप अनुपात की गणना में शेयरों के बाज़ार मूल्यों पर विचार किया गया है, तो, विचार किया गया बाज़ार मूल्य और जिस स्रोत से ऐसे मूल्य लिए गए हैं, वह स्रोत
 - (9) यदि मूल्यांकनकर्ता एक से अधिक हैं, तो क्या प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता ने अलग स्वैप अनुपात की अनुशंसा की है, और यदि हां, तो प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता के संबंध में उपर्युक्त ब्योरा अलग से दिया जाए और यह दर्शाया जाए कि अंतिम स्वैप अनुपात किस प्रकार हासिल किया गया;



12. जहां समामेलन/समामेलित संस्था के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत है:

- (1) उस एक्सचेंज पर शेयरों के मासिक उच्चतम और निम्नतम भावों का विवरण, जहां शेयरों का सबसे अधिक कारोबार होता है, साथ ही उस तारीख से ठीक पहले के छह महीनों के दौरान कारोबार किए गए शेयरों की संख्या, जिस तारीख को बोर्डों द्वारा समामेलन की योजना को मंजूरी दी जाती है।
- (2) जिस तारीख को बोर्डों द्वारा विलय योजना को मंजूरी दी जाती है, उससे ठीक पहले के चौदह दिनों में से प्रत्येक दिन बाजार बंद होने पर शेयर का उद्धृत मूल्य।

एफ. अन्य जानकारी

13. ऐसी अन्य सूचना और दस्तावेज जिनकी भारतीय रिज़र्व बैंक को आवश्यकता हो।